

आवंटनादेश

बिहार सरकार,
श्रम संसाधन विभाग

प्रेषक,

प्रकाश कुमार
श्रमायुक्त, बिहार ।

सेवा में,

श्रमायुक्त के सचिव, पटना ।

पटना, दिनांक :- 6-1-16

विषय:- आय-व्ययक शीर्ष-2230-श्रम तथा रोजगार-01-श्रम-114-उत्प्रवासी श्रम कल्याण-मांग संख्या-26-उपशीर्ष-0102-अन्तर्राज्यीय प्रवासी मजदूरों के पुर्नवापसी पर व्यय (विपत्र कोड- पी 2230011140102) के अन्तर्गत निधि का आवंटन ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-2692 दिनांक-27.8.15 के आलोक में चालू वित्तीय वित्तीय वर्ष- 2015-16 में 31 मार्च 2016 तक व्यय के निमित्त "बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजनान्तर्गत" मलेशिया से बिहार के 30 प्रवासी मजदूरों को भारत लाने में व्यय की गयी राशि को, बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड को उपलब्ध कराने के लिए व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ इकाई (28-01) से ₹ 10,06,951/- (रूपये दस लाख छः हजार नौ सौ इक्यावन) मात्र का आवंटन किया जाता है ।

- यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक-295/वि0 दिनांक-24.03.15, पत्रांक-5294 वि० दिनांक-17.06.2015 एवं वित्त आयुक्त के स्थायी ज्ञापांक-2561/ वि0 (2) दिनांक 17.04.98 के आलोक में है ।
- इस आवंटित राशि से किसी भी परिस्थिति में अधिक व्यय नहीं किया जाय । यदि आवंटित राशि से अधिक व्यय किया जाता है तो वह अनियमित होगा ।
- आवंटित राशि से हुए व्यय की उपयोगिता प्रमाण पत्र इस विभाग को विहित प्रपत्र में ससमय निश्चित रूप से उपलब्ध करा दें ।
- बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना नियमावली,2008 पर वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है।
- यह आवंटन योजना से संबंधित है ।

विश्वासभाजन,

(प्रकाश कुमार)

श्रमायुक्त, बिहार ।

06/01/16

ज्ञापांक-6/एफ1-3012/2015 श्र0सं0-

78

पटना, दिनांक 6-1-16

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

(प्रकाश कुमार)

श्रमायुक्त, बिहार ।

06/01/16

ज्ञापांक-6/एफ1-3012/20145 श्र0सं0-

78

पटना, दिनांक-

6-1-16

प्रतिलिपि:- सचिव के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, पटना/ जिला पदाधिकारी, पटना/कोषागार पदाधिकारी, विकास भवन कोषागार, नया सचिवालय, पटना/आई०टी०मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा-2सरकार पक्ष/सहायक श्रमायुक्त, शोध एवं प्रशाखा-01(श्रम पक्ष) को उनके गै०स०प्रे०सं०-167 (श्रमपक्ष) दिनांक-04.09.15 के आलोक में/लेखा शाखा (श्रम पक्ष)/प्रशाखा-6(श्रम पक्ष) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

- उपयोगिता प्रमाण-पत्र का संधारण संबंधित योजना शाखा (प्रशाखा-01) द्वारा किया जायेगा ।

(प्रकाश कुमार)

श्रमायुक्त, बिहार

06/01/16